ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory © ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

2022

www.researchjournal.in

अंक 37 हिन्दी संस्करण वर्ष - 19 जुलाई-दिसम्बर 2022

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 40942
Impact Factor 5.125 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest U.S.A. Title Id : 715205

अंक-37 हिन्दी संस्करण वर्ष-19 जुलाई - दिसम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी , सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी
लिटिल बैम्बीनोज स्कूल कैम्पस
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अत: हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती हैं, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अत: हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना हैं। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी हैं कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरूष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अत: स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध हैं "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहां देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। विद्या का आदर्श सरस्वती में,धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता हैं।

(डॉ. अखिलेश शुक्ल)
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01	वीर सावरकर: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय चरित्र **अरुण श्रीवास्तव**	09
02	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान **राजेश चन्द्र पालीवाल**	15
03	डॉ. लोहिया का सांस्कृतिक चिन्तन: रामायण मेला योजना के विशेष सन्दर्भ में **सुधा गुप्ता**	20
04	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) **भूरी सिंह, अतुल कुमार**	25
05	भारतीय जीवन में शिवोपासना का धार्मिक महत्व **अशुतोष शुक्ल**	30
06	महात्मा गाँधी : महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण **सीमा श्रीवास्तव**	39
07	महिला नेतृत्व के साामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण (रीवा जिले की पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) **कोमल पांडे, अखिलेश शुक्ल**	44
08	महिला अपराधिता पुनर्वास एवं जेल व्यवस्था **गजानन मिश्र**	53
09	घरेलू हिंसा: वर्तमान समय की गहन समस्या व समाधान **अलका रानी**	60
10	भारतीय अर्थव्यवस्था और वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ: एक विश्लेषण **बिन्ध्याचल साह**	66
11	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियॉ **सिद्धार्थ मिश्र**	78
12	वैश्वीकरण का सामाजिक- आर्थिक प्रभाव **अजय सिंह गहरवार, अवनीश सिंह, महानन्द द्विवेदी**	82
13	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में स्टार्टअप योजना **संगीता कुँभारे**	92
14	स्टार्ट अप योजना एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं का सशक्तिकरण:एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **कृष्ण कुमार पटेल, एस.एम.मिश्रा**	101
15	सतना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या एवं समाधान **गायत्री देवी, आर. पी. गुप्ता**	108
16	मध्यप्रदेश में कृषि विकास की संभावनाएं एवं चुनौतियां **सुनीता सोलंकी**	115
17	पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य (नईगढ़ी-पिपराही के संदर्भ में) **वंदना मिश्रा**	121

18	शहडोल संभाग में पर्यटन विकास का पारिस्थितिकी पर प्रभाव **बी. पी. सिंह, सविता पटेल**	127
19	समाज और संस्कृति की विकास यात्रा (भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में) **दिव्या मिश्रा**	133
20	शिव ब्रात है? **अशुतोष शुक्ल**	137
21	श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष योग **प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी**	143
22	जैवविविधता और मानवीय क्रियाकलाप (पश्चिमी घाट के विशेष संदर्भ में) **सुनील बाबू विश्वकर्मा, आकृति खरे**	147
23	पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को किस तरह प्रभावित करती हैं **मंजरी अवस्थी**	152
24	भारतीय संस्कृति में स्वदेशी खेलो की प्रासंगिकता का महत्व **ममता**	156
25	भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन **पुरूषोत्तम कुमार साहू, अविनाश कुमार लाल**	166
26	लिंग भेदभाव का महिलाओं के विकास के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) **राधा मिश्रा , अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	171
27	महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक स्थिति पर प्रभाव (जिला सतना के विशेष संदर्भ में) **विमलेश द्विवेदी, अखिलेश शुक्ल**	179
28	लैंगिक असमानता के कारण एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन **राधा मिश्रा, अमर जीत सिंह, अजय आर. चौर**	188
29	महिला नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	194
30	बाल मानवाधिकार एवं भारत के समक्ष चुनौतियां **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	198
31	भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में **कुमुद श्रीवास्तव**	203
32	पंचायतीराज अधिनियम का प्रभाव महिला नेतृत्व एवं सामाजिक जागरुकता (सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के विशेष संदर्भ में) **शिखा पाण्डेय, अखिलेश शुक्ल**	210
33	अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा के अधिकार: भारत के संदर्भ में **जगदीश प्रसाद, सर्वोत्तम कुमार**	117
34	सल्तनकालीन महोबा **महेन्द्र मणि द्विवेदी, रानू चौरसिया**	223

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer- Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 37, Hindi Edition, Year-19, July - Dec. 2022

भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में

• कुमुद श्रीवास्तव

सारांश- वर्ष 2017-18 से 2019-20 में भारत में रोजगार के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने से जो प्रवृत्तियाँ है वे बताती है कि महिलाओं ने रोजगार के क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी को बढ़ाया है। घरेलू कर्तव्यों में महिलाओं की उच्च भागीदारी है। महिलाओं द्वारा किये जा रहे अवैतनिक कार्यो को पर्याप्त मूल्यांकन की आवश्यकता है। महिलाओं के सभी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिये एक स्वच्छ वातावरण बनाना भी जरूरी है। आधी आबादी के लिये समुचित नीतियां निर्धारित करने से ही देश विकास की ओर अग्रसर होगा। पर्याप्त वेतन और स्वरोजगार पैदा करना समावेशी विकास की दिशा में सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है चूंकि रोजगार बाजार में उम्मीद के मुताबिक चीजें नहीं मिल रही है, इसलिये हाल के दिनों में ''बेरोजगारी विकास'' के मुद्दे पर बढ़ती बहस को देखा जाता है कि रोजगार की स्थिति और बेरोजगारी के संबंध में गुणवत्ता के आंकड़ों की कमी के कारण यह स्थिति देश में बदतर हो गयी है। इसीलिये सरकार ने 2017-18 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण Periodic Labour Force Survey (PLFS) नामक एक नया नियमित रोजगार सर्वेक्षण शुरू किया। PLFS आंकलनों के आधार पर 2017-18 और 2018-19 के लिये ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिये सभी आयु वर्ग के लिये पुरूष महिला के संबंध में कुल श्रम बल, रोजगार और बेरोजगारी के 'आंकड़े' विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते है।

मुख्य शब्द -के लैंगिक आयाम, रोजगार की स्थिति, कौशल विकास, उद्योगवार रोजगार

शोध के उद्देश्य -

1. भारत रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन।
2. भारत में रोजगार की स्थिति।
3. कौशल विकास के द्वारा किये गये कार्यों का अध्ययन।
4. उद्योगवार महिलाओं का रोजगार की स्थिति।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र में शोध क्षेत्र भारत देश में रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है। शोध समयावधि 1991 से 2021 तक की अवधि है। विश्लेषण हेतु द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है।

• प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

रोजगार के लैंगिक आयाम- तेजी से आर्थिक विकास और धन सृजन, श्रम बाजार में लैंगिक समानता की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिये, स्मार्ट अर्थशास्त्र माना जाता है, लैंगिक समानता घरेलू आय में वृद्धि, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर खर्च, बचत, निवेश और उपभोग वृद्धि में सुधार के माध्यम से देश की गरीबी, असमानता और आर्थिक कल्याण पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2011 (विश्व बैंक) के अनुसार वैश्वीकरण के युग में कोई भी देश अपनी पूर्ण क्षमता विकसित नहीं कर सकता है, जबकि उसकी आधी आबादी (यानी महिलाएं) गैर-पराश्रमिक कम उत्पादकता, और आर्थिक गतिविधियों से परे हो। देश में इस पहलू से संबंधित नवीनतम तथ्य (2018-19) स्पष्ट करते हैं कि -

- 2018-19 में उत्पादक आयु (15-59 वर्ष) में महिलाओं की LFPR (श्रम बल भागीदारी दर) पुरूषों (शहरी एवं ग्रामीण) की 80.3 प्रतिशत की तुलना में 26.5 प्रतिशत थी।
- जबकि 54.7 प्रतिरूप शहरी महिलाओं को नियमित वेतन एवं वेतन भोगी श्रेणी में नियुक्त किया गया था, लगभग 59.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं न केवल स्वरोजगार थी बल्कि उनमें से 37.9 प्रतिशत घरेलू उद्यमों में सहायक थी।
- कम महिला LFPR, घरेलू कर्तव्यों में महिलाओं (15 वर्ष और अधिक आयु वाली) की उच्च भागेदारी थी (ग्रामीण क्षेत्र में 55.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 59.1 प्रतिशत)

NSO के टाइम यूज सर्वे (TUS) के अनुसार 2019 के दौरान (जनवरी-दिसम्बर), हम उस समय का पालन करते हैं जो एक महिला द्वारा अवैतनिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है और घर के सदस्यों के लिये अवैतनिक देखभाल करने वाली सेवाएं 24 घंटे की समयावधि में पुरूष समकक्षों की तुलना में प्रमुख और उच्चतर होती है और इसकी प्रमुख विशेषतायें थी-

- महिलाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अवैतनिक घरेलू और देखभाल करने वाली सेवाएं, उनके शिक्षा के स्तर से प्रभावित नहीं है यहां तक कि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के साथ महिलाओं ने अवैतनिक घरेलू सेवाओं में 295 मिनट बिताए और अवैतनिक सेवाओं में 146 मिनट।
- अर्थव्यवस्था में एक सहयोग के संबंध में उत्पादक आयु वर्ग की महिलाओं ने अवैतनिक और SNA गतिविधि में 337 मिनट बिताए, जबकि पुरूषों में यह केवल 41 मिनट ही था। इसी प्रकार, वैतनिक गतिविधियों मेकं 305 मिनट बिताए जबकि यह महिलाओं में केवल 68 मिनट ही था।

रोजगार की स्थिति- संगठित तथा असंगठित क्षेत्र मे औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार वर्ष 2019-20 में शामिल हुये अतिरिक्त श्रमिकों में से करीब 90 प्रतिशत रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति में थे और 98 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में थे। लगभग 91 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारी असंगठित-अनौपचारिक क्षेत्र में थे।

संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार (पी.एस./एस.एस.) (करोड़ में)

रोजगार की प्रकार	संगठित	असंगठित	कुल योग
2017-18			
औपचारिक	4.43	0.28	4.70
अनौपचारिक	4.62	37.79	42.43
योग	0.95	38.07	47.13
2018-19			
औपचारिक	4.91	0.45	5.35
अनौपचारिक	4.55	38.87	43.43
योग	9.46	39.32	48.78
2019-20			
औपचारिक	5.09	0.80	5.89
अनौपचारिक	4.46	43.19	47.64
योग	9.55	43.99	53.53

स्रोत - पी.एल.एफ.एस. वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करके अनुमानित।

कौशल विकास- जनसांख्यिकीय लाभांश को खोलने के लिये जनसंख्या में कौशल स्तर को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाए गए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2019-20 से पता चलता है कि युवाओं (उम्र 15-29 वर्ष) तथा कामकाजी जनसंख्या (आयु 15-59 वर्ष) के बीच औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण में वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सुधार हुआ है। कौशल में सुधार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरूषों के साथ साथ महिलाओं के लिये हुआ है। हालांकि पुरूषों और महिलाओं के लिये औपचारिक प्रशिक्षण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम है।

औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का वितरण (प्रतिशत में)

आयु वर्ग	ग्रामीण			शहरी			सम्पूर्ण भारत		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2017-18									
15-29 वर्ष	2.0	1.3	1.7	4.6	4.2	4.4	2.8	2.2	2.5
15-59 वर्ष	1.5	0.9	1.2	4.0	3.3	3.7	2.3	1.7	2.0
2018-19									
15-29 वर्ष	2.4	1.5	2.0	4.8	4.6	4.7	3.2	2.5	2.8
15-59 वर्ष	1.8	1.1	1.5	4.9	3.9	4.4	2.8	2.0	2.4
2910-20									
15-29 वर्ष	3.1	2.7	2.0	7.0	6.5	6.8	4.3	3.8	4.1
15-59 वर्ष	2.2	1.7	2.0	6.3	5.4	5.8	3.5	2.9	3.2

स्रोत - वार्षिक पी.एल.एफ.एस. रिपोर्ट वर्ष 2017-18 से 2019-20

तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2021) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख नौ क्षेत्रों में न्यूनतम 10 श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में, अनुमानित प्रतिष्ठानों में से 17.9 प्रतिशत औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आई.टी./बी.पी.ओ. जैसे क्षेत्रों ने 29.8 प्रतिशत अनुमानित प्रतिष्ठानों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया, इसके बाद 22.6 प्रतिशत वित्तीय सेवाएं तथा 21.1 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठान है। इसके अतिरिक्त, लगभग 24.3 प्रतिशत अनुमानित प्रतिष्ठान 'ऑन-द-जॉब'

प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो आई.टी./बी.पी.ओ. क्षेत्र (प्रतिष्ठानों का 36.1 प्रतिशत) तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र (34.8 प्रतिशत) में अधिक है।

औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार प्रतिशत विवरण (प्रतिशत में)

क्षेत्र	कौशल प्रशिक्षण	'ऑन-द-जॉब' प्रशिक्षण
आई.टी./बी.पी.ओ.	29.8	36.1
वित्तीय सेवाएं	22.6	34.8
शिक्षा	21.1	22.1
स्वास्थ्य	20.2	24.0
उत्पादन	17.4	28.3
निर्माण	15.5	26.0
परिवहन	13.0	20.6
व्यापार	11.2	17.4

उद्योगवार रोजगार- भारत में उद्योग वार रोजगार (पी.एस./एस.एस.) से स्पष्ट है कि जोड़े गये श्रमिकों से पता चलता हे कि 71 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र में थे। कृषि क्षेत्र में नए कामगारों में महिलाओं की संख्या लगभग 65 प्रतिशत है। व्यापार, होटल तथा रेस्तरां क्षेत्र में नए श्रमिकों का 22 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हिस्सा था, जो पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के अनुरूप था, जहां यह क्षेत्र 28 प्रतिशत से अधिक नए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता था। निर्माण की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में जोड़े गये नये श्रमिकों के 5.65 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में जोड़े गये नये श्रमिकों के लगभग 2.41 प्रतिशत हो गई, और इसी तरह निर्माण का हिस्सा 26.26 प्रतिशत से 7.36 प्रतिशत हो गया।

भारत में उद्योग-वार रोजगार (पी.एस.+एस.एस.) (करोड़ में)

वर्ष/क्षेत्र	ग्रामीण			शहर			योग		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2018-19									
कृषि	12.97	6.01	18.98	0.62	0.26	0.88	13.58	6.27	19.86
खनन और उत्खनन	0.10	0.02	0.11	0.08	0.01	0.08	0.17	0.02	0.20
उत्पादन	1.78	0.76	2.54	2.77	0.81	3.58	4.55	1.57	6.12
बिजली, पानी आदि	0.10	0.02	0.11	0.15	0.02	0.17	0.25	0.03	0.28
निर्माण	3.75	0.51	4.26	1.47	0.14	1.60	5.22	0.64	5.86
व्यापार, होटल और रेस्तरां	2.39	0.36	2.75	3.19	0.46	3.64	5.57	0.82	6.39
परिवहन, भंडारण और संचार	1.32	0.02	1.33	1.54	0.12	1.66	2.86	0.14	2.99
अन्य सेवाएं	1.95	0.77	2.72	2.82	1.51	4.33	4.77	2.28	7.05
कुल							36.97	11.78	48.76
2019-20									
कृषि	14.10	8.18	22.28	0.67	0.32	0.99	14.77	8.51	23.27
खनन और उत्खनन	0.08	0.00	0.08	0.07	0.00	0.07	0.14	0.01	0.15
उत्पादन	1.86	0.79	2.65	2.70	0.88	3.59	4.56	1.67	6.24
बिजली, पानी आदि	0.13	0.01	0.14	0.19	0.02	0.21	0.31	0.03	0.35
निर्माण	3.82	0.61	4.42	1.60	0.19	1.79	5.42	0.80	6.22
व्यापार, होटल और रेस्तरां	2.34	0.40	2.74	3.85	0.88	4.73	6.19	1.28	7.47
परिवहन, भंडारण और संचार	1.37	0.02	1.40	1.61	0.14	1.75	2.99	0.16	3.15
अन्य सेवाएं	1.78	0.79	2.57	2.64	1.50	4.13	4.42	2.29	6.71
कुल							38.80	14.75	53.55

स्रोत - पी.एल.एफ.एस. वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करके अनुमानित

वार्षिक पी.एल.एफ.एस. आंकड़ा का उपयोग करके रोजगार में दीर्घकालिक प्रवृत्ति- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस.) 2019-20 (जुलाई 2019 से जून 2020 तक की सर्वेक्षण अवधि) के दौरान, सामान्य स्थिति में रोजगार का विस्तार जारी रहा। वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के बीच, लगभग 4.75 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति कार्यबल में शामिल हुए। यह वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के बीच सृजित रोजगार से लगभग तीन गुना अधिक है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र ने इस विस्तार में बहुत अधिक योगदान दिया। (ग्रामीण क्षेत्र में 3.45 करोड़ तथा शहरी क्षेत्र में 1.30 करोड़)। इसके अलावा, अतिरिक्त कामगारों में 2.99 करोड़ महिलाएं (63 प्रतिशत) थी। वर्ष 2019-20 में शामिल हुए अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 65 प्रतिशत स्वरोजगार वाले थे। स्व-रोजगार के रूप में शामिल होने वाली लगभग 75 प्रतिशत महिला 'अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक' थी। अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 18 प्रतिशत अनियमित मजदूर थे तथा 17 प्रतिशत 'नियमित वेतन/वेतन भोगी कर्मचारी' थे। वर्ष 2019-20 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भी 23 लाख की कमी आई, जिसका गठन मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्र के पुरूषों द्वारा किया गया।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिये श्रम बल, रोजगार तथा बेरोजगारी का अनुमान (सभी आयु, पी.एस.+एस.एस., करोड़ में)

वर्ष/क्षेत्र	ग्रामीण			शहर			योग		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
2017-18									
श्रम बल	25.48	8.67	34.15	13.25	3.57	16.82	38.73	12.24	50.97
रोजगार	23.91	7.70	31.61	12.39	3.15	15.53	36.29	10.85	47.14
बेरोजगारी	1.57	0.97	2.54	0.86	0.42	1.29	2.44	1.39	3.83
2018-19									
श्रम बल	25.77	8.77	34.54	13.60	3.68	17.28	39.37	12.45	51.82
रोजगार	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78
बेरोजगारी	1.40	0.31	1.71	0.96	0.37	1.33	2.36	0.68	3.04
2019-20									
श्रम बल	26.64	11.12	37.76	14.23	4.35	18.58	40.87	15.47	56.34
रोजगार	25.45	10.81	36.26	13.32	3.95	17.27	38.77	14.76	53.53
बेरोजगारी	1.18	0.32	1.50	0.91	0.40	1.31	2.09	0.72	2.81

स्रोत-पी.एल.एफ.एस. वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 सर्वेक्षण का उपयोग करते हुये सर्वेक्षण अनुमान।अनुमान लगभग में है।

देश के वर्तमान रोजगार के लैंगिक आयाम, रोजगार की स्थिति, कौशल विकास, उद्योगवार रोजगार तथा सरकार द्वारा इसके विकास के लिये हाल ही में उठाए गए कदमों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ग्रामीण, शहरी और लिंग आधारित वर्गीकरण में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के वार्षिक चक्र में कुशल लोगों के अनुपात में सुधार हुआ है। हालांकि, कौशल अर्जन का स्तर कम रहा है क्योंकि 15-59 वर्ष आयु वर्ग के 2.4 प्रतिशत कार्यबल ने औपचारिक व्यवसायिक/ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसके अलावा अन्य 8.9 प्रतिशत कार्यबल ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8.9 प्रतिशत कार्यबल में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने काम करते हुये प्रशिक्षण (3.3 प्रतिशत) प्राप्त किया है, उसके बाद अपने प्रयासों से सीखने वाले लोग (2.5 प्रतिशत) तथा वंशानुगत स्रोतों (2.1

प्रतिशत) और अन्य स्रोतों से सीखने वाले लोग 1 प्रतिशत हैं। उन लोगों में से जिन्होंने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, पुरूष एवं महिला दोनों ने अधिकांशतः IT-ITeS का प्रशिक्षण कोर्स का चयन किया है। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूंजीगत माल सामरिक विनिर्माण ओटोमेटिव आदि। 2018-19 में लगभग 51.8 करोड़ श्रमिक थे (48.8 करोड़ नियोजित और 3 करोड़ रोजगार थे) 2017-19 के बीच लगभग 0.85 करोड़ बढ़े (0.46 करोड़ शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से 0.39 करोड़) लिंग संरचना में कार्यबल बढ़ा है - 0.64 करोड़ पुरूष और 0.21 करोड़ महिलाएं। 2017 से 19 के बीच अनियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी लगभग 0.79 करोड़ थी, महिलाओं की अधिकतर संख्या ग्रामीण क्षेत्र से थी। महिला श्रमिक बल सहभागिता दर 2017-18 में 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 18.6 प्रतिशत हो गया।

कार्यरत कर्मचारियों का उद्योगवार अनुमान -

- 21.5 करोड़ व्यक्ति कृषि में कार्यरत (42.5 प्रतिशत कार्यबल वाले सबसे बड़े नियोक्ता)
- अन्य सेवाओं में लगभग 6.4 करोड़ व्यक्ति लगे हैं। (13.8 प्रतिशत)
- विनिर्माण और व्यापार, होटल, रेस्टरा में लगभग 5.9 करोड़ लोग नियोजित (क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी)
- निर्माण उद्योग में लगभग 5.7 करोड़ लोग नियोजित (12.1 प्रतिशत हिस्सेदारी
- कुल नियोजित व्यक्तियों में लगभग 25 करोड़ अनियोजित (52 प्रतिशत श्रम बल), 12.2 करोड़ नियमित मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी तथा 11.5 करोड़ अनियमित कामगार।

स्वरोजगारी अभी भी स्वरोजगार के साथ रोजगार का प्रमुख स्रोत है। नियमित मजदूरी वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अनुपात में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में पुरूष एवं महिलाएं दोनों में वृद्धि देखी गयी। शहरी महिलाओं में यह वृद्धि अधिक थी जो 2017-18 में 52.1 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 54.7 बढ़ गयी। यह नियोजन की गुणवत्ता के सुधार को इंगित करता है। इसके साथ ही अनियमित मजदूरी के अनुपात में गिरावट देखी गयी जो शहरी महिलाओं के मामले में अधिक थी, 2017-18 में शहरी महिलाओं का प्रतिशत 13.1 प्रतिशत था जबकि 2018-19 में यह दर 10.7 प्रतिशत था, इसकी तुलना में 2017-18 में पुरूषों के लिये 15.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में 14.2 प्रतिशत हो गया। महिलाओं की रोजगार की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने से यह बात स्पष्ट रूप से दिखलायी देती है कि महिलाओं के द्वारा घर में किये कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये अभी भी किसी उचित प्रणाली को विकसित नहीं किया गया है। विश्लेषण के आधार पर सरकार की नीति निर्धारण हेतु कुछ प्रमुख उपायों को शामिल किया जाना चाहिए -

- महिलाओं के द्वारा घरेलू स्तर पर किये जा रहे कार्यों का पर्याप्त मूल्यांकन होना चाहिए।
- कौशल विकास हेतु मोहल्लों के बीच में विभिन्न कार्यों से संबंधित कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। जिससे महिलायें आसानी से खाली समय में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो सके।
- उद्योगवार महिलाओं को रोजगार हेतु प्रेरित करने के लिये देश में ऐसे वातावरण का

निर्माण किया जाना चाहिये जिससे महिलाओं को किसी क्षेत्र में रोजगार करने में असुरक्षा न महसूस हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

- Economic Survey, 2016-17, Mof, Gol, N. Delhi Vol. 01 P-162
- Economic Survey 2020-21. Vol.2, P. 335-41, Ministry of Finance, Gol. N. Delhi.
- Ministry of Labour and Employment, Gol. N. Delhi March 2017